संख्या-104/2020/533रासनि/23-1-21-81रासनि/20

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 23 मार्च, 2021

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 14 मार्गों के चालू कार्य हेतु लैप्स धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-6538सी/191सी/5054-अप्राप्त साख सीमा/2020-21(वाराणसी), दिनांक 09.03.2021 एवं पत्र सं0-6518सी/191सी/5054-अप्राप्त साख सीमा/20-21सहारनपुर, दिनांक 09.03.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न तालिका के कॉलम-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित विवरणानुसार **विभिन्न जनपदों के 14 मार्गों के चालू कार्य हेतु लैप्स धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 1,51,88,000/- (रूपये एक करोड़ इक्यावन लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/आवंटित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) **प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2021 तक कर लिया जाय । कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2021 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।**

(2) **अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।**

(3) **लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।**

(4) **प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।**

(5) **सड़क निधि हेतु गठित प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(7) इस निधि से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा शासनादेश सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.20 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या- रासनि(1)/23-1-21, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
7. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. लोक निर्माण अनुभाग-10
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0-104/2021/533रासनि/23-1-21-81रासनि/20, दिनांक 23.03.2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	वर्ष 2019–20 में आवंटन	वर्ष 2019–20 में लैप्स धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	9
1	गाजीपुर	विकास खण्ड वाराचवर अन्तर्गत असावर में हरिजन बड़ी बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण।	80/2020/689रासनि/23–1–20–58रासनि/20, दि0 27.03.21	47.37	7.11	7.11	7.11
2	गाजीपुर	विकास खण्ड वाराचवर अन्तर्गत असावर में राजापुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण।	80/2020/689रासनि/23–1–20–58रासनि/20, दि0 27.03.21	66.73	10.01	10.01	10.01
3	गाजीपुर	विकास खण्ड वाराचवर में मुबारकपुर कामुपर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण।	80/2020/689रासनि/23–1–20–58रासनि/20, दि0 27.03.21	85.49	12.82	12.82	12.82
4	गाजीपुर	विकास खण्ड वाराचवर में पहराजपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण।	80/2020/689रासनि/23–1–20–58रासनि/20, दि0 27.03.21	28.66	4.30	4.30	4.30
5	गाजीपुर	विकास खण्ड वाराचवर अन्तर्गत न्यू उर्फ उंचाडीह हरिजन बस्ती (उत्तरी) सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण।	80/2020/689रासनि/23–1–20–58रासनि/20, दि0 27.03.21	31.20	4.68	4.68	4.68
6	गाजीपुर	विकास खण्ड वारावचर में असावर पानी टंकी से सरेजा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण	80/2020/689रासनि/23–1–20–58रासनि/20, दि0 27.03.21	119.53	17.93	17.93	17.93
7	गाजीपुर	बखरियाडीह बन्धा से कमसड़ी ग्राम सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण	80/2020/689रासनि/23–1–20–58रासनि/20, दि0 27.03.21	93.90	14.09	14.09	14.09
8	गाजीपुर	विकास खण्ड वारावचर में प्राथमिक विद्यालय चक बद्धोपुर से चकबड़ी तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण	80/2020/689रासनि/23–1–20–58रासनि/20, दि0 27.03.21	112.25	16.84	16.84	16.84
9	गाजीपुर	विकास खण्ड वाराचवर अंतर्गत ग्रामसभा असावर में भटवा संपर्क मार्ग	82/2020/691रासनि/23–1–20–2रासनि/19, दि0 27.03.21	151.83	22.77	22.77	22.77
10	गाजीपुर	विकास खण्ड मरदह अंतर्गत ग्रामसभा घरिहां में धर्मपुरा संपर्क मार्ग का नवनिर्माण।	82/2020/691रासनि/23–1–20–2रासनि/19, दि0 27.03.21	64.84	9.73	9.73	9.73
11	गाजीपुर	विकास खण्ड मरदह अंतर्गत ग्रामसभा गाई में पाहीपार संपर्क मार्ग का नवनिर्माण।	82/2020/691रासनि/23–1–20–2रासनि/19, दि0 27.03.21	47.00	7.05	7.05	7.05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	वर्ष 2019–20 में आवंटन	वर्ष 2019–20 में लैप्स धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	9
12	गाजीपुर	विकास खण्ड कासिमाबाद अंतर्गत ग्रामसभा रामगढ़ में बिन्दपुरा संपर्क मार्ग।	82/2020/691रासनि/23–1–20–2 रासनि/19, दि0 27.03.21	69.14	10.37	10.37	10.37
13	गाजीपुर	विकास खण्ड कासिमाबाद में ग्राम असना अन्तर्गत हरिजन बस्ती संपर्क मार्ग	82/2020/691रासनि/23–1–20–2 रासनि/19, दि0 27.03.21	62.50	9.38	9.38	9.38
14	मुजफ्फरनगर	मेरठ करनाल से लोई मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य(चेनेज 0.000 से 0.700 तक)	85/2020/3761रासनि/23–1–20–5 6रासनि/20, दि0 31.03.21	48.00	4.80	48.80	4.80
		योग					151.88

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।